न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Mutation Revision no.-01/2019-20

देवाशीष विश्वास

बनाम

मो0 कैफुद्दीन शेख वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19.09.2022	**आदेश** यह रिविजन वाद रिविजनकर्त्ता देवाशीष विश्वास, पिता–अचिन्तो कुमार विश्वास उर्फ अचिनत्य कुमार विश्वास, ग्राम–ईशाकपुर, थाना–पाकुड (मु0) जिला–पाकुड़ वर्त्तमान निवास 47/B Pottery Road, P.S.-Tangra, Kolkata (WB) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के राजस्व विविध अपील वाद सं0–03/2013–14 में दिनांक 21.07.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। रिविजन आवेदन के अनुसार मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के रिविजनकर्त्ता द्वारा मौजा–ईशाकपुर राजस्व थाना सं0–130 के जमाबन्दी सं0–350 के दाग सं0–191 अन्तर्गत रकवा 3–16–5 धुर जमीन का इस वाद के विपक्षी सं0–2 मो0 कैफुद्दीन शेख, पिता–स्व0 नरेश शेख, सा0–ईशाकपुर, थाना–पाकुड़ (मु0) के पिता स्व0 नरेश शेख के नाम से पंजी–II में सृजित होल्डिंग सं0–639 को रद्द करने हेतु अंचल कार्यालय, पाकुड़ में आवेदन दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर राजस्व विविध वाद सं0–03/2013–14 संस्थित करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 28.09.2013 को आदेश पारित किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध इस वाद के विपक्षी सं0–2 के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में अपील दायर किया गया। जो राजस्व विविध अपील वाद सं0–03/2013–14 के रूप में संस्थित किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा उक्त अपील वाद में दिनांक 21.07.2014 को पारित आदेश द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के पारित उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्त्ता के द्वारा विज्ञ अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में अपील दायर किया गया। जो आर0एम0ए0 नं0–02/2014 के रूप में पंजीकृत किया गया। विज्ञ अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 14.10.2015 को पारित आदेश द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, यदि कोई सहित
1	2	3

विज्ञ अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 14.10.2015 को पारित उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में रिट याचिका दाखिल किया गया जो डब्ल्यु0पी0(सी0)नं0–179/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञ अपर ससमाहर्त्ता, पाकुड़ के समक्ष रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल द्वितीय अपील (Second Appeal) को Bihar Tanants Holding (maintenance of records) Act 1973 के प्रावधानों के प्रतिकुल पाते हुए विज्ञ अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 को निरस्त कर दिया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा आर0एम0ए0 वाद सं0–03/2013–14 में दिनांक 21.07.2014 को पारित आदेश को Collector of the district के समक्ष चुनौती देने की छुट प्रदान करते हुए रिट याचिका का निष्पादन किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के उक्त आदेश के आलोक में यह रिविजन वाद दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभय पक्ष के द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है।

रिविजनकर्त्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व मध्यवर्ती श्रीमती रानी ज्योतिर्मयी देवी के द्वारा निबंधित बन्दोबस्ती पट्टा 538/1938, दिनांक 23.03.1938 के द्वारा अमरनाथ विश्वास, पिता–मिहिर विश्वास, सा0–ईशाकपुर के साथ बन्दोबस्ती की गई थी। बन्दोबस्ती के बाद अमरनाथ विश्वास का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा रहा तथा जमीन्दारी सिरिस्ता में लगान भी अदा किया जाता रहा। बाद में अमरनाथ विश्वास के नाम से प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण होने के बाद पंजी–II के होल्डिंग सं0–355 में उनका नाम दर्ज किया गया। अमरनाथ विश्वास की मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारी में से एक देवाशीष विश्वास के द्वारा अमरनाथ विश्वास के ही दूसरे वैध उत्तराधिकारियों से प्रश्नगत भूमि निबंधित विकय केवाला सं0–216 दिनांक 29.01.2003 के द्वारा कय किया गया।

उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि का कय करने के बाद वर्ष 2012 में जब उक्त भूमि का अपने नाम नामान्तरण का प्रयास किया गया तो पहली बार उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी क0–2 के पिता नरेश शेख के नाम से पंजी–II में होल्डिंग सं0–639 में दर्ज है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

जबकि प्रश्नगत भूमि का लगान वर्ष 2006–07 तक अमरनाथ विश्वास की ओर से भुगतान किया गया है।

उनका आगे कहना है कि इस प्रकार एक ही भूमि को लेकर दो अलग–अलग होल्डिंग एक अमरनाथ विश्वास के नाम होल्डिंग सं0–355 एवं दूसरा नरेश शेख के नाम होल्डिंग सं0–639 सृजित होने के कारण उनके द्वारा नरेश शेख के नाम सृजित होल्डिंग सं0–639 को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, पाकुड़ के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया था।

उनका आगे कहना है कि विपक्षी सं0–02 के द्वारा कर्मचारी की मिलीभगत से अपने पिता नरेश शेख का नाम कपटपूर्वक एवं धोखे से बिना किसी Mutation Proceeding तथा बिना अंचल अधिकारी, पाकुड़ के किसी आदेश के ही पंजी–II में होल्डिंग सं0–639 दर्ज करा लिया गया।

उनका आगे कहना है कि विपक्षी सं0–02 का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उनके पिता नरेश शेख के द्वारा वर्ष 1946 में अमरनाथ विश्वास से अनिबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया गया था परन्तु विपक्षी सं0–2 के द्वारा मूल अनिबंधित केवाला निम्न न्यायालय में कभी दाखिल नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी–2 द्वारा 1973 में नामान्तरण का दावा भी गलत है क्योंकि पंजी–II में नरेश शेख के नाम की प्रविष्टि वर्ष 1973 में ही हुई यह कहीं नहीं दिखता है। वर्ष 1973 का कर्मचारी का कोई हस्ताक्षर नहीं है बल्कि कर्मचारी का हस्ताक्षर दिनांक 19.07.2012 का है जो यह प्रमाणित करता है कि नरेश शेख के नाम पंजी–II में दर्ज प्रविष्टि दिनांक 19.07.2012 को की गई है।

उनका आगे कहना है कि पंजी–II में वर्ष 1973 का एक लगान रसीद सं0 का उल्लेख किया गया है परन्तु तिथि अस्पष्ट है। पंजी–II में वर्ष 1973 से 2013–14 तक लगान भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है। होल्डिंग सं0–639 , होल्डिंग सं0–355 के काफी बाद का है जो यह प्रमाणित करता है कि होल्डिंग सं0–639 का सृजन वर्ष 1973 में न होकर वर्ष 2012 में किया गया है।

उनका आगे कहना है कि वास्तव में विपक्षी सं0–02 के पिता को प्रश्नगत भूमि का बंटाईदार/भागीदार के रूप में रखा गया था जो प्रश्नगत भूमि से प्राप्त उत्पाद एवं लाभ का हिस्सा दिया करते थे। परन्तु रिविजनकर्त्ता के पश्चिम बंगाल में रहा करने के कारण

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

विपक्षी सं0–2 के द्वारा प्रश्नगत जमीन को हड़पने की नीयत से ऐसा किया गया है।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता प्रश्नगत भूमि के सही एवं वास्तविक मालिक है तथा प्रश्नगत भूमि पर उनका दखल है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी सं0–02 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के समक्ष दिनांक 27.07.2013 को आवेदन दाखिल कर मौजा–ईशाकपुर नं0–130 के दाग सं0–191 की भूमि का किसी अन्य के पक्ष में किए गए नामान्तरण को रद्द करने का अनुरोध किया गया। अपने उक्त आवेदन में रिविजनकर्त्ता के द्वारा दाग सं0–191 की भूमि का न तो पूर्ण व्यौरा अंकित किया गया और न ही उस व्यक्ति का नाम अंकित किया गया जिसके नाम से किए गए नामान्तरण को वे रद्द कराना चाहते थे। उक्त आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा राजस्व विविध वाद सं0–03/2013–14 प्रारंभ किया गया। उक्त वाद में दिनांक 16.08.2013 को पारित आदेश द्वारा मौजा–ईशाकपुर के जमाबन्दी सं0– 151 को भी सम्मिलित कर लिया गया।

उनका आगे कहना है कि एक अमरनाथ विश्वास, पिता–स्व0 मिहिर विश्वास, सा0–ईशाकपुर, थाना–पाकुड़ (मु0), जिला–पाकुड़ के द्वारा ईशाकपुर के जमाबन्दी सं0–350 के दाग सं0–191 अन्तर्गत रकवा 3–16–5 धुर भूमि एवं दाग सं0–844 अन्तर्गत रकवा 3–16–12 धुर भूमि भूतपूर्व मध्यवर्ती श्रीमती रानी ज्योतिर्मयी देवी से वर्ष 1938 में किसी समय अथवा पूर्व में विधिपूर्वक तरीके से प्राप्त किया गया था। उक्त अमरनाथ विश्वास के द्वारा मौजा– ईशाकपुर के जमाबन्दी सं0–151 के दाग सं0–190 अन्तर्गत रकवा 0–4–5 धुर भूमि भी वैध मालिक/स्वत्वाधिकारी से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार विधिपूर्वक प्राप्त भूमि का उक्त अमरनाथ विश्वास वैध मालिक एवं स्वत्वाधिकारी बने तथा उक्त सभी भू–खण्डों पर उनके द्वारा शांतिपूर्वक दखल कब्जा किया जाने लगा।

उनका आगे कहना है कि वर्ष 1946 तथा 1948 में उक्त अमरनाथ विश्वास के द्वारा उक्त तीनों दागों, दाग सं0–191, 844 एवं 190 की भूमि दो अनिबंधित विक्रय केवाला के माध्यम से विपक्षी सं0–02 के पिता–नरेश शेख, पिता–इब्राहिम शेख को हस्तान्तरित कर दिया गया एवं वास्तविक भौतिक दखल कब्जा प्रदान कर दिया गया। उनका आगे कहना है कि उक्त अनिबंधित विक्रय केवाला के आधार पर विपक्षी सं0–02 के पिता नरेश शेख तीनों दागों

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

की भूमि के वैध रयत्ताधिकारी बने एवं उनके द्वारा उक्त दागों की भूमि का शांतिपूर्वक भोग दखल किया जाता रहा।

उनका आगे कहना है कि वर्ष 1973 में उक्त नरेश शेख के द्वारा दाग सं0–191 की भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम से करा लिया गया एवं दाखिल खारिज के बाद पंजी–II के होल्डिंग सं0–039 में उनका नाम दर्ज किया गया। उक्त अमरनाथ विश्वास की मृत्यु वर्ष 1976 में किसी समय हो गई। अपने जीवितावस्था तक अमरनाथ विश्वास द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नरेश शेख के स्वत्व, हक एवं दखल पर कभी आपत्ति नहीं की गई। अमरनाथ विश्वास के उत्तराधिकारियों द्वारा भी नरेश शेख के स्वत्व , हक एवं अधिकार पर कभी आपत्ति नहीं की गई।

उनका आगे कहना है कि अचानक रिविजनकर्त्ता, जो अमरनाथ विश्वास के पौत्र (Grand Son) है, के द्वारा नरेश शेख के नाम प्रश्नगत भूमि का कायम जमाबन्दी को रद्द करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया जिसमें भूमि का कोई ब्यौरा अंकित नहीं है तथा जो अस्पष्ट है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा रिविजनकर्त्ता के उक्त आवेदन पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं विपक्षी सं0–02 के पीठ पीछे बिना जानकारी दिए नरेश शेख के नाम कायम जमाबन्दी को रद्द कर दिया गया एवं अमरनाथ विश्वास के नाम लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया।

उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश गलत एवं अवैध है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। उनका आगे कहना है कि जहां तक अमरनाथ विश्वास के नाम वर्ष 2006 में होल्डिंग सं0–355 सृजित होने का प्रश्न है तो उक्त अमरनाथ विश्वास की मृत्यु काफी पूर्व हो चुकी थी। रिविजनकर्त्ता एवं विपक्षी सं0–02 द्वारा दाखिल कई कागजातों विक्रय केवाला की प्रति से स्पष्ट होगा कि उक्त अमरनाथ विश्वास की मृत्यु वर्ष 2006 के काफी पूर्व हो चुकी थी।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा यह सही कहा गया है कि राजस्व न्यायालय को अपने या अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विचार (Review) करने का अधिकार नहीं है।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा यह भी सही कहा गया है कि दाखिल खारिज संबंधी मामलों में राजस्व पदाधिकारियों को प्रथम द्रष्टया दखल कब्जा को

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

guide के रूप में देखते हुए आदेश देना चाहिए, पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण नहीं करना चाहिए।

उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ Registration Act की धारा 18 के प्रावधानों की विवेचना करने में पूरी तरह असफल रहे कि 100/– रो कम मूल्य की अचल सम्पति के हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज का निबंधन कराना अनिवार्य नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश इस मायने में भी गलत है कि रिविजनकर्त्ता द्वारा दाग सं0–191 की भूमि का अपने पक्ष में नामान्तरण हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया था, परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा उनके नाम दाग सं0–191 की भूमि का नामान्तरण करते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया गया।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ इस तथ्य की विवेचना करने में भी पूरी तरह असफल रहे कि रिविजनकर्त्ता के पक्ष में अचिन्त कुमार विश्वास एवं अन्य द्वारा निष्पादित कैवाला गलत एवं अवैध है क्योंकि उक्त भूमि (दाग सं0--191 की भूमि सहित) काफी वर्षो पूर्व वर्ष 1946 एवं 48 में विपक्षी के पिता को हस्तान्तरित की जा चुकी है। चूंकि उक्त भूमि का हस्तान्तरण पूर्व में विपक्षी सं0–02 के पिता को की जा चुकी है अतः उसपर अचिन्त विश्वास तथा अन्य का कोई स्वत्व/हक नहीं रह जाता है एवं उनके द्वारा किया गया हस्तान्तरण अवैध है।

उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ विपक्षी सं0–02 एवं उनके भाईयों के नाम दाग सं0–190 एवं 844 की भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत कर कानूनन बड़ी त्रुटि कर गए जबकि कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दाग सं0–190 एवं 844 का दखलकार विपक्षी सं0–02 को प्रतिवेदित किया गया था। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को दाग सं0– 190 एवं 844 की भूमि पर विपक्षी सं0–02 एवं उनके भाईयों का दखल कब्जा को देखते हुए तथा अनिबंधित विकय केवाला के आधार पर दाखिल खारिज करना चाहिए था।

उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश को विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा गलत एवं त्रुटिपूर्ण पाते हुए बिल्कुल सही विवेचना के आधार पर निरस्त किया गया है। उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख तथा उभय पक्ष द्वारा दाखिल कागजातों/दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलील एवं उपलब्ध कागजातों से यह स्पष्ट है कि मौजा–ईशाकपुर के दाग सं0–191 अन्तर्गत रकवा 3–16–5 धुर जमीन का दो भिन्न व्यक्तियों एक अमरनाम विश्वास के नाम पंजी–II में होल्डिंग सं0–355 तथा दूसरा विपक्षी सं0–02 के पिता–नरेश शेख के नाम होल्डिंग 639 में कायम है।

उभय पक्ष के द्वारा उक्त होल्डिंग सृजन के संदर्भ में कई दलीलें दी गई परन्तु यह नहीं बताया गया कि उक्त होल्डिंग के सृजन का कोई वैध आधार है अथवा नहीं। सामान्यतः दाखिल–खारिज के बाद ही भूमि का व्यौरा पंजी– II में होल्डिंग सं0 के साथ दर्ज किया जाता है। उभय पक्ष द्वारा ऐसा एक भी कागजात/दस्तावेज इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारिज उनके पूर्वज के पक्ष में विधिवत किया गया है। उनके द्वारा दाखिल पंजी– II के संबंधित होल्डिंग के नकल की छायाप्रति में भी किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है और न ही यह अंकित है कि किस दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश के तहत उक्त होल्डिंग का सृजन किया गया है। इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, पाकुड़ से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 616/रा0, दिनांक 06.06.2022 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त जांच प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों होल्डिंग का सृजन बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से ही कायम कर दिया गया है।

नरेश शेख द्वारा Long running जमाबन्दी कहने का आधार यह है कि उक्त जमाबन्दी के लिए 1973 से रसीद निर्गत है परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित कागजात से यह स्पष्ट होता है कि 1973 से 2012 तक की रसीद एक साथ 19.07.2012 को निर्गत है। उक्त पंजी-II भी 1973 से पूर्व का दृष्टिगोचर नहीं है क्योंकि उस पर "सरस्वती प्रेस कोलकाता 2011" मुद्रित है। स्पष्ट है कि Long running जमाबन्दी होने के बजाय यह बिना किसी आधार के 2011 के बाद कभी सृजित की गयी है। अतः यह दलील की प्रश्नगत जमाबन्दी लंबे अर्से से चली आ रही है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अमरनाथ विश्वास के नाम सृजित होल्डिंग 355 में न तो खाता सं0 और न ही दाग सं0 का उल्लेख है जबकि नरेश शेख के नाम सृजित होल्डिंग सं0–639 में खाता सं0–360 अंकित है। प्रतिवेदन सें स्पष्ट है कि खाता सं0–360 सही नहीं है।

उभय पक्ष द्वारा प्रश्नगत होल्डिंग से संबंधित नामान्तरण वाद के आदेश की को

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	गई प्रति दाखिल नहीं करना स्पष्ट करता है कि जमाबन्दी का सृजन ही अवैध तरीके से हुआ है। निम्न न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया एवं अवैध रूप से सृजित जमाबन्दी को वगैर किसी साक्ष्य के सही मान लिया गया जो बिल्कुल गलत है। अतः निम्न न्यायालय के साथ–साथ अंचल अधिकारी, पाकुड़ के आदेश में भी विसंगतियां पाते हुए उक्त दोनों के आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। उभय पक्ष को यह छूट दी जाती है कि वे प्रश्नगत भूमि के नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपना आवेदन दाखिल करेंगे। आवेदन प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर मामले का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, पाकुड़। उपायुक्त, पाकुड़।	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.06 17:25:29 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner